ANT

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ,जिला–झुंझुंनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह आर.ए.एस.

जीएसएम नं. 2023/200
राजस्व प्रा. पत्र संख्या 59/2023

(सुलोचना वगै0 बनाम राज सरकार)
प्रार्थना पत्र – अं. धारा 144 सीपीसी (प्रत्यारथापन्ना करने)

ऐडवोकेट प्रार्थी–श्री श्रवण सिंह
ऐडवोकेट अप्रार्थी –पैरो. राज

आदेश

दिनांक 14.10.2024

आवेदकगण द्वारा प्रा. पत्र अं. धारा 144 सीपीसी का प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया:–

यह की अनावेदक द्वारा एक प्रा. पत्र प्रकरण सं. 12/2012 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम महादेव अ.धारा 177 आर.टी.ए. का पेश किया गया था कि, ग्राम नवलडी तहसील नवलगढ के ख.नं. 1290 रकबा 1.2726 है0 मे अनावेदकगण ने राजस्थान सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 0.04 है0 भूमि को कृषि भूमि भिन्न प्रयोजन के काम मे लेते हुये बी.एस.एन.एल. मोबाईल फोन टॉवर कम्पनी को किराये पर देकर कृषि भूमि में मोबाईल टावर का निर्माण कर लिया है। उक्त आवेदन को स्वीकार कर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ ने दिनांक 12.06.2015 को निर्णय पारित किया कि ग्राम नवलडी की भूमि खसरा नं. 1290 रकबा 1.2726 है0 में से 0.04 है0 भूमि को सिवायचक घोषित किया जाता है। माननीय अदालत हाजा के उक्त आदेश की अपील न्यायालय भू.प्रबन्ध एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने अपील सं. 218/2016 मे निर्णय दिनांक 10.10.2019 के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.06.2015 को अपास्त कर दिया। अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2015 की पालना में ग्राम नवलडी में स्थित भूमि खसरा नं. 1290 रकबा 1.2726 है0 में से 0.04 है0 भूमि का नामान्तकरण सं. 1652 दिनांक 22.07.2015 के द्वारा खसरा नं. 1834/1290 रकबा 0.04 है0 सिवायचक राजकीय दर्ज कर दिया। उक्त नामान्तकरण माननीय न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.06.2015 के आधार पर दर्ज किया गया है और अपीलीय न्यायालय ने अदालत हाजा के निर्णय को अपास्त कर दिया है। अब प्रा. पत्र 177 आर.टी.ए. उनवानी राजस्थान सरकार बनाम महादेवाराम मु. नं. 12/2012 प्रस्तुत करने की स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर ग्राम नवलडी में स्थित भूमि खसरा नं. 1834/1790 रकबा 0.04 है0 की खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश किये जावें ।

प्रा. पत्र पेश होने से पत्रावली पृथक से दर्ज कि गई तथा तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो जवाब पेश किया। बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई।

वकील आवेदक ने प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरो. राज द्वारा विरोध करते हुये प्रा. पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पक्षकार पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 12/2012 मे पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 को माननीय अपीलीय न्यायालय भू.प्रबन्ध एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा अपने आदेश अपील सं. 218/2016 मे निर्णय दिनांक 10.10.2019 द्वारा अपास्त कर दिया है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी जाहिर व प्रमाणित

217

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

... स्वीकार है।

Scanned with CamScanner

है कि दिनांक 12/06/2015 के निर्णय अपास्त होने के साथ ही उक्त आदेश के अनुसरण मे किया गया, राजस्व रिकार्ड मे अंकन निष्प्रभावी/अमान्य हो जाता है। माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुझुंनू ने भी अपने निर्णय दिनांक 10/10/2019 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12/06/2015 मे विधि एंव तथ्यो की त्रुटी मानकर अपास्त किया है। धारा 144 सीपीसी की परिभाषा के तहत, ऐसा आदेश या डिक्री जो त्रुटीपूर्ण हो, ऐसा आदेश या डिक्री जिसके विरूद्व अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय से परिवर्तित कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है ,अपास्त , निरस्त, उपान्तरित कर दिया जाता है तथा त्रुटीपूर्ण ऐसा आदेश या डिक्री जिससे किसी एक पक्ष को बिना न्याय निर्णय लाभ मिल रहा हो पुष्ठ होता है। इस प्रकार से आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0 पत्र धारा 144 सीपीसी स्वीकार किये जाने की उक्त तीनो शर्ते को पूरी करता है तथा प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

लिहाजा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 144 सीपीसी का पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि, ग्राम नवलडी के भूमि खसरा नं. 1290 रकबा 1.2726 है0 में से 0.04 है0 भूमि जिसको प्रकरण सं. 12/2012 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम महादेव अ.धारा 177 आर.टी.ए. मे पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 द्वारा सिवायचक घोषित किया गया था और उक्त आदेश की अपील माननीय न्यायालय भू.प्रबन्ध एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर मे होने से अपील सं. 218/2016 मे निर्णय दिनांक 10.10.2019 के द्वारा इस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 12.06.2015 को अपास्त कर दिये जाने से अब प्रा. पत्र 177 आर.टी.ए. उनवानी राजस्थान सरकार बनाम महादेवाराम मु. नं. 12/2012 प्रस्तुत करने की स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर ग्राम नवलडी में स्थित भूमि खसरा नं. 1834/1790 रकबा 0.04 है0 सिवायचक से प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 कि खातेदारी मे दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते हैं।

तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो कि उक्त आदेश के अनुसरण मे कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड मे आवश्यक अमलदरामद करे तथा पालना से अवगत करवावे। आदेश प्रा0 पत्र आज दिनांक 14.10.2024 खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जय सिह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned with CamScanner